न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 10/2024
प्रविष्टि दिनांक 15.02.2024

अम्बालाल पुत्र भवंरलाल जाति गुर्जर निवासी मोटूका तहसील व जिला टोंक राज0
—अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 12.01.2024 मिसल नम्बर 303/2023

उपस्थिति : (1) श्री शिवजीराम चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीणा,नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 02.07.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 147/1 रकबा 0.3794 है0 किस्म गै.मु.खाल वाके ग्राम मोटूका तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 98/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। तामिल नोटिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी भी नही है,जो अंगूठा निशानी है,वह तामिल कुन्निदा ने गलत रूप से अन्य व्यक्ति से लगवाकर गलत रूप से अपीलांट की तामिल बतायी है। गलत तामिल को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका पर अपीलांट की उपस्थिति बाबत कोई हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नही करवायी गई है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त नही की है और ना ही अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही है। अधीनस्थ

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई है और ना ही मौका का निरीक्षण किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलांट को पूर्व मे भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत पटवारी हल्का द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही होता है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 147/1 रकबा 0.3794 है0 किस्म गै.मु.खाल वाके ग्राम मोटूका तहसील टोक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 147/1 रकबा 0.3794 है0 किस्म गै.मु.खाल वाके ग्राम मोटूका तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पत्रावली सं0 533/2023 निर्णय दिनांक 30.01.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि नोटिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नही है,जो अंगूठा निशानी है,वह तामिल कुन्निदा ने गलत रूप से अन्य व्यक्ति से लगवाकर गलत रूप से अपीलांट की तामिल बतायी है। अपीलांट को पूर्व मे भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत पटवारी हल्का द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है,परन्तु नोटिस का अवलोकन करन से जाहिर होता है कि तामिल कुन्निदा ने भजन नाम के व्यक्ति के सामने अपीलांट की अंगूठा निशानी करवा कर बाद तामिल की रिपोर्ट की है।पटवारी हल्का बरोनी ने दिनांक 12.01.2024 को दिये गये अपने बयान मे अपीलांट को उक्त भूमि पर सम्वत 2079 मे भी अतिक्रमण करना बताया है। अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 12.01.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)